Remarkable Value. Unbeatable Location.

PARAS GROUP

Prabhu niwas

A Unit of Paras Greens

MUNDERA BAZAAR, PRAYAGRAJ

PDA APPROVED
RERA REGISTERED
(UPPERAPRJ14831)

EWS/LIG Scheme

Prabhu Niwas

A Unit of Paras Greens

EWS ▸
Unit Area : 34.76 sq mt.

◂ LIG
Unit Area : 40.56 sq mt.

TYPICAL FLOOR PLAN
(First to Eighth Floor including Lift)

*The images are only for reference purpose.
उपरोक्त चित्र वास्तविकता से भिन्न हो सकते है।

विवरण पुस्तिका

इस बुकिंग फार्म में वर्णित विषय वस्तु, नियम व शर्तें भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2018 तथा सम्बन्धित नियम व विनियम के द्वारा उस सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे जहाँ तक संशोधन करना समीचीन होगा और यदि आवश्यक हुआ तो भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (RERA) के अन्तर्गत स्थापित प्राधिकरण के निर्देशानुसार उनके द्वारा निर्धारित मानक प्रारूपों व प्रपत्रों को निष्पादित किया जायेगा जिस हेतु पक्षकार तत्पर रहेंगे।

1. योजना का विवरण :

   Prabhu Niwas एल0आई0जी0 व ई डब्लू एस इन (RERA Reg. No. UPRERAPRJ14831)

   विकासकर्ता कम्पनी : Paras Greens

2. भवनों के नाम

   ई0डब्लू0एस0 (दुर्बल आय वर्ग) **EWS** – Flat No. E-101-108, E-201-208, E-301-308, E-401-408, E-501-508, E-601-608, E-701-708, E-801-808, E-901-907 = 71

   एल0आई0जी0 (अल्प आय वर्ग) **LIG** – Flat No. LA-101-108, LA-201-208, LA-301-308, LA-401-408, LA-501-508, LA-601-608, LA-701-708, LA-801-808, LA-901-905, LA-111-112 = 71

3. पंजीकरण हेतु पात्रता

   3.1. आवेदक की उम्र न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए।

   3.2. आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए। अप्रवासी भारतीय (एन.आर.आई.) भी आवेदन कर सकते हैं परन्तु उन्हें आवंटन में कोई वरीयता नहीं दी जाएगी।

   3.3 आवेदक अथवा उसके परिवार (परिवार का तात्पर्य आवेदक, उसके परिवार पति/ पत्नी तथा आबालिग बच्चो से है) के किसी सदस्य के पास प्रयागराज विकास क्षेत्र में प्रयागराज विकास प्राधिकारण / आवास विकास परिषद, इम्प्रूवमेन्ट, किसी स्थानीय निकाय, सहकारी समिति आदि द्वारा विकसित कालोनियों में कोइ अपना भूखण्ड/ भवन नहीं होना तथा उ0प्र0 के अन्य किसी नगर अथवा शहरी क्षेत्र में उपरोक्त अभिकरणों अथवा संस्थानों द्वारा विकसित कालोनियों में एक से अधिक भूखण्ड / भवन नहीं होना चाहिए।

   3.4 आवेदक को ई0डब्लू0एस0 (दुर्बल आय वर्ग) अथवा एल0आई0जी0 (अल्प आय वर्ग) श्रेणी का होना चाहिए तथा ई0डब्लू0एस0 श्रेणी के फ्लैटस हेतु रू0 3,00,000/- तक एवं एल0आई0जी0 श्रेणी के फ्लैट्स हेतु रू0 3,00,001/- व रू0 6,00,000/- तक कि परिवार की वार्षिक आय (परिवार की आय का तात्पर्य पति व पत्नी की कुल आय से है) का सक्षम अधिकारी (तहसीलदार) द्वारा जारी प्रमाण पत्र भी फार्म के साथ संलग्न करना होगा, अन्यथा पंजीकरण आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

   3.5 आवंटन के बाद सफल आवेदकों के द्वारा प्रस्तुत किये गये शपथ पत्र एवं अन्य दस्तावेजों में प्रस्तुत तथ्यों का सत्यापन किया जा सकता है।

4. भवनों का विवरण

भवनों के प्रकार	अनुमानित क्षेत्रफल वर्ग मीटर (बिल्टअप एरिया)	अनुमानित क्षेत्रफल वर्ग मीटर (कारपेट एरिया)	भवनों की संख्या	भवनों के तलों की संख्या	अनुमानित विक्रय मूल्य (रू0)	पंजीकरण धनराशि (रू0) (पूर्णांक में)	आवंटन के पश्चात 45 दिन के भीतर देय धनराशि प्रतिशत (%) में	अवशेष 90% धनराशि की भुगतान पद्वति
ई0डब्लू0एस0 (दुर्बल आय वर्ग)	34.76	30.41	71	Stiit+9	6,10,238	रू 40,000	अनुमानित विक्रय मूल्य का 10% (पंजीकरण धनराशि घटाकर)	आवंटन की तिथि से 120 दिनों के अन्दर
एल0आई0जी0 (अल्प आय वर्ग)	40.56	36.00	71	Stiit+10	12,15,676	रू 60,000	अनुमानित विक्रय मूल्य का 10% मूल्य का 10% (पंजीकरण धनराशि घटाकर)	आवंटन की तिथि से 120 दिनों के अन्दर

* निर्धारित पंजीकरण धनराशि का डिमांड ड्राफ्ट फार्म के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।

4.1. प्रत्येक भूखण्ड पर इकाईयों की संख्या एवं तलों की संख्या इस पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 2 एवं 15 पर दर्शाये मानचित्रों के साथ दी गयी हैं।

4.2. उपरोक्त सभी योजनाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता सेनानी, भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित तथा समाज के दिव्यांगजन द्वारा निर्धारित पंजीकरण धनराशि की आधी धनराशि जमा कर पंजीकरण कराया जा सकता है। परन्तु फ्लैट के कुल मूल्य में कोई छूट देय नहीं होगी।

4.3. उपरोक्त फ्लैटों का घोषित मूल्य अनुमानित है। शासन अथवा किसी शासकीय अभिकरण द्वारा कोई अतिरिक्त/ किसी प्रकार का टैक्स यदि रोपित किया जाता है तो वह आवंटी द्वारा अलग से देय होगा।

4.4. आवंटन के पश्चात धनराशि निर्धारित अवधि में देय धनराशि ई0डब्लू0एस0 आवंटी एवं एल0आई0जी0 आवंटी द्वारा जमा न करने पर देय धनराशि पर क्रमशः 9 (%) एवं 9 (%) वार्षिक साधारण ब्याज देय होगा जो कि तत्समय प्रवर्तनशील भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 2016 के अन्तर्गत इस सम्बन्ध में प्रावधान, नियम अथवा विनियम के अनुसार देय होगा। फ्लैट के आवंटन हेतु केवल पति पत्नी अथवा एक ही परिवार के रक्त सम्बन्धी सदस्य ही संयुक्त रूप से आवेदन कर सकते है। परन्तु इनकी संख्या दो से अधिक नहीं होगी। अन्य कोई संयुक्त स्वीकार्य नहीं होगी। शासनादेश संख्या 645/9-31-2-2001 दिनांक 08.03.2001 के अनुसार पति पत्नी के संयुक्त नाम से किया जायेगा। एकल नाम से निबंधन हेतु शासनादेशानुसार निर्धारित पर्याप्त साक्ष्य/ अभिलेख प्रस्तुत करना होगा।

4.5. विलम्बतम तीन माह तक वांछित धनराशि जमा न करने पर विकासकर्ता कम्पनी को यह अधिकार होगा कि वह आवंटन निरस्त कर दें।

4.6. प्रस्तावित 71 ई0डब्लू0एस0 (दुर्बल आय वर्ग) के प्रत्येक फ्लैट में 34.76 वर्ग मीटर बिल्टअप एरिया है प्रस्तावित 71 एल0आई0जी0 के प्रत्येक फ्लैट में 40.56 वर्ग मी0 बिल्टअप एरिया है।

4.7. कम्पनी द्वारा बैंकों से ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने में सहायता की जायेगी।

4.8. आवंटी निर्माण की अवधि में आकर निर्माण की गुणवत्ता का निरीक्षण कर सकता है।

5. आवंटी / आवेदक की मृत्यु की दशा में यदि आवंटी/ आवेदक की मृत्यु हो जाती है तो उसके आवेदन/उसको आवंटित भवन उसके उत्तराधिकारियों / नाम निर्देशिती (इस सम्बन्ध में प्रचलित सुसंगत अधिनियमों में वर्णित प्राविधानों के अनुसार) को आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराने पर हस्तान्तरित कर दिया जायेगा।

6. आरक्षण

6.1 शासनादेश के अनुसार 71 (ई0डब्लू0एस0) तथा 71 (एल0आई0सी0) श्रेणी से फ्लैटों में आरक्षण निम्न प्रकार देय होगाः-

क्रमांक	वर्ग	प्रतिशत
1.	अनुसूचित जाति	21
2.	अनुसूचित जनजाति	02
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग	27
4.	विधायक/ सांसद व स्वतंत्रता सेनानी	05
5.	सरकारी सेवकों तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जिनकी उम्र 50 वर्ष से अधिक हो।	05
6.	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारी।	02
7.	भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित, भूतपूर्व केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल के कार्मिकों व उनके आश्रित	03
8.	समाज के विकलांग व्यक्ति (शासनादेश दिनांक 19.12.2011)	03 हारिजोन्टल

6.2 प्रार्थना पत्र के साथ उक्त श्रेणी में होने का प्रमाण पत्र देना होगा जो पर्याप्त होगा।

6.3 71 (ई0डब्लू0एस0) तथा 71 (एल0आई0जी0) फ्लैट हेतु प्रार्थना पत्र का प्रारूप संलग्न है।

6.4 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा घोषित वृद्धजनों हेतु राष्ट्रीय नीति के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सम्पत्तियों के निस्तारण में भी समाज के वृद्धजनों के लिए 10% के आरक्षण की व्यवस्था कर दी जाये, परन्तु वह आरक्षण अलग से न होकर प्रत्येक श्रेणी के लिए उपलब्ध आरक्षण में से ही होगा। उदाहरण स्वरूप यदि वृद्ध व्यक्ति अनुसूचित जाति का है तो उस वर्ग के लिए निर्धारित 21% के आरक्षण का 10% आरक्षण वृद्धजनों के लिए उपलब्ध होगा। इस प्रकार यह आरक्षण हारिजोन्टल होगा।

6.5 वृद्धजनों से तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों से है जिन्होंने आवेदन की तिथि को 60 वर्ष की आयु पूरी कर ली है।

6.6 आरक्षण प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

6.7 सुरक्षा सैनिक का तात्पर्य सेवारत/ सेवानिवृत्त सुरक्षा सैनिक से है।

6.8 अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों का तात्पर्य शासन द्वारा प्रसारित आदेशान्तर्गत आने वाली जातियों से है।

6.9 अन्य पिछड़े वर्ग का तात्पर्य उ0प्र0 (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए अधिनियम 1994) अधिनियम संख्या–4 सन् 1994 की अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट है। अधिनियम की अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट नागरिकों को अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आने वाले आवेदकों की सुविधा का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

6.10 बिन्दु 6.4 का लाभ प्राप्त करने के लिए आयु प्रमाण पत्र संलग्न करें।

6.11 आरक्षण के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर किये गये संशोधित आदेश लागू होंगे।

6.12 भविष्य में प्रदेश/ केन्द्र सरकार द्वारा लागू कोई भी योजना/ नियम व शर्ते यदि इस योजना पर लागू होगी तो विवरण पुस्तिका में दी गई नियम व शर्तों में संशोधन किये जायेंगे।

7. आवंटन

7.1 भवनों का आवंटन लाटरी द्वारा किया जायेगा।

7.2 लाटरी का परिणाम सार्वजनिक रूप से कम्पनी के नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध होगा।

7.3 जो प्रार्थी अर्हता की श्रेणी में नहीं आते है उनका प्रार्थना पत्र निरस्त करने का अधिकार विकासकर्ता कम्पनी में निहित रहेगा।

7.4 किसी भी सशर्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। अपूर्ण आवेदन पत्र रद्द कर दिये जायेंगे।

7.5 आवंटी द्वारा दिये गये पते पर आवंटन पत्र व अन्य सूचना उसे रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित की जायेगी, परन्तु यदि किसी भी प्रकारण से पत्र बिना प्राप्त हुए वापस आ जाता है अथवा उसी पते पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है तो वह पत्र आवंटी को प्राप्त माना जाएगा तथा इस विषय में कोई दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

7.6 यदि आवंटी के पते में कोई परिवर्तन होता है तो आवंटी की जिम्मेदारी होगी कि वह लिखित सूचना द्वारा कम्पनी को सूचित करें।

7.7 आवंटन की तिथि से 5 वर्ष तक आवंटी द्वारा भवन का अंतरण प्रतिबंधित रहेगा।

8. पंजीकरण का निरस्तीकरण एवं जमा धनराशि की वापसी

8.1 असफल आवेदकों को आवंटन न होने की दशा में 30 दिन के अन्दर विकासकर्ता कम्पनी द्वारा बिना कटौती व बिना ब्याज के पंजीकरण धनराशि एकाउन्ट पेयी चेक द्वारा वापस कर दी जायेगी। आवेदक के पक्ष में ही वापसी की चेक निर्गत की जाएगी।

8.2 सम्पत्ति के आवंटन के पश्चात धनराशि वापस लेने पर अथवा धनराशि जमा न करने के कारण निरस्तीकरण के पश्चात पंजीकरण धनराशि पर 10 प्रतिशत कटौती के उपरान्त शेष धनराशि बिना ब्याज के वापस की जायेगी जो कि तत्समय प्रवर्तनशील कानून के अनुसार होगी।

9. तथ्यों का छिपाना : यदि आवेदक द्वारा दिया गया कोई विवरण असत्य पाया जाता है या कोई महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया जाता है तो विकासकर्ता कम्पनी के अधिकृत अधिकारी को पूरा अधिकार होगा कि आवंटन/ निबन्धन/ अनुबन्ध निरस्त कर दे तथा आवंटी द्वारा जमा की गयी सम्पूर्ण धनराशि जब्त कर लें। इसके लिये कानूनी कार्यवाही जो भी विधिवत् उचित समझी जायेगी की जा सकती है।

10. फ्लैट्स का कब्जा

10.1 फ्लैट्स के सम्पूर्ण मूल्य व अन्य व्ययों के भुगतान के उपरान्त और निबन्धन निष्पादन के पश्चात ही आवंटी को फ्लैट का कब्जा दिया जायेगा।

10.2 निबन्धन में आने वाला समस्त व्यय एवं स्टैम्प पेपर का व्यय आवंटी द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।

10.3 विकासकर्ता कम्पनी द्वारा सूचित अवधि में विक्रय विलेख न कराने पर एवं फ्लैट का कब्जा न लेने पर आवंटी का नियमानुसार अनुरक्षण शुल्क/ चौकीदारी शुल्क देना होगा, तत्पश्चात निबन्धन से विलम्बत्म तीन माह तक कब्जा न लेने पर विकासकर्ता कम्पनी के अधिकृत अधिकारी फ्लैट का आवंटन निरस्त करने का अधिकार होगा।

11. शुल्क / कर आदि की देयता

विकासकर्ता कम्पनी, नगर निगम अथवा अन्य किसी विभाग द्वारा लगाये गये समस्त कर/ शुल्क आवंटी द्वारा देय होंगे।

12. अन्य सामान्य नियम व शर्ते

12.1 आवंटन के पश्चात प्रयागराज विकास प्राधिकरण में अन्य प्रचलित शर्ते/ नियम तथा समय–समय पर प्राधिकरण अथवा शासन द्वारा इनमें किये गये संशोधन/ परिवर्तन/ परिवर्धन लागू एवं मान्य होंगे।

12.2 आवेदन पत्र में नवीनतम फोटोग्राफ जिस पर आवेदक का नाम अंकित हो, लगाना आवश्यक होगा।

12.3 किसी भी प्रकार के बाद का परिक्षेत्र प्रयागराज होगा।

13. पंजीकरण प्रक्रिया

13.1 पंजीकरण हेतु विवरण पुस्तिका रू0 300.00 (जी0एस0टी0 सहित) नगद भुगतान पर कार्य दिवसों में एच.डी.एफ.सी. बैंक व बैंक ऑफ बड़ौदा (HDFC BANK OR BANK OF BARODA) की सिविल लाइंस शाखा, प्रयागराज से प्राप्त की जा सकती है।

13.2 पंजीकरण हेतु विवरण पुस्तिका दिनांक .... तक किसी भी कार्य दिवस में .... उपरोक्त स्थानों से प्राप्त की जा सकती है।

14. विवरण पुस्तिका में संलग्न आवेदन पत्र पूर्ण रूपेण भरे।

14.1 आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि ....

14.2 विवरण पुस्तिका में संलग्न शपथपत्र के प्रारूप का रू0 10.00 के स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर नोटरी/मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित कराते हुये आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा।

14.3 पूर्ण रूप से भरे आवेदन पत्र .... में अंतिम तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय - पारस ग्रुप, तृतीय तल, पी स्क्वायर मॉल, होटल गैलेक्सी बिल्डिंग, एम.जी. मार्ग, सिविल लाइंस, प्रयागराज (मोबाइल नम्बर 7379888111) में जमा किया जा सकता है।

14.4 पंजीकरण धनराशि का ड्राफ्ट/पे आर्डर **Paras Greens** के पक्ष में प्रयागराज में देय होगा।

15. आवेदन पत्र भरने के लिये अनुदेश

15.1 आवेदन द्वारा आवेदन पत्र में नाम व पता पूर्ण रूप से हिन्दी एवं अंग्रेजी में भरा जाना चाहिए। अपूर्ण अथवा अधूरे भरे गये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

15.2 फ्लैट का निबन्धन पति एवं पत्नी के नाम संयुक्त रूप से किये जाने की व्यवस्था है।

15.3 संयुक्त नाम से प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र में दोनों आवेदकों द्वारा हस्ताक्षरित किये जाने चाहिये।

15.4 आवेदन पत्र पर आवेदक/ आवेदकों का पासपोर्ट साइज का फोटो लगाया जाना होगा एवं मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल दिया जाना अनिवार्य होगा।

15.5 आवेदक द्वारा भुगतान जमा कराते समय बैंक ड्राफ्ट के पीदे पूरा नाम, पता एवं आवेदन पत्र का क्रमांक अवश्य अंकित किया जाना चाहिये। इससे आपके भुगतान को सही ढंग से समायोजित करने में मदद मिलेगी।

16. भुगतान पद्धति

16.1 नगद भुगतान आवंटन की तिथि से 120 दिन की अवधि में पूर्ण भुगतान।
पंजीकरण धनराशि (रू0) अंकों में .... धनराशि शब्दों में ....
जारीकर्ता ड्राफ्ट बैंक...शाखा ....डिमांड ड्राफ्ट सं0 ....

17. जाँच सूची (Check List) : फार्म को जमा करने से पूर्व कृपया निम्नलिखित सूची को अवश्यक जांच लें।

जाँच-सूची (Check List) Table

1.	आवेदन पत्र फोटो के साथ पूर्ण रूप से भरा गया है ?	
2.	आवेदन पत्र उचित रूप से निष्पादित है व उसके सभी पृष्ठों पर सभी आवेदकों के हस्ताक्षर है,	
3.	बुकिंग धनराशि का डिमांड ड्राफ्ट सही नाम पर है और उस पर हस्ताक्षर व दिनांक है	
4.	आवेदक की आय के साक्ष्य हेतु प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है ?	
5.	मूल निवासी का प्रमाण पत्र संलग्न है ?	
6.	शपथ पत्र उचित रूप से निष्पादित व नोटरी द्वारा सत्यापित है ?	
7.	आरक्षण प्रमाण पत्र व आयु प्रमाण पत्र संलग्न है।	
8.	पैन कार्ड संलग्न है। यदि पैन कार्ड नहीं है तो फार्म 60 में घोषणा संलग्न करें।	
9.	आधार कार्ड / वोटर आई.डी. कार्ड / निवास प्रमाण पत्र / बैंक पास बुक	

भुगतान पद्धति के कोड :

नगद भुगतान (आवंटन की तिथि से 90 दिन की अवधि में पूर्ण भुगतान | 0 | 1 |

योजना का कोड EWS & LIG | 1 | 5 | 7 |

फ्लैट का कोड : EWS | 1 | 1 | 0 |

फ्लैट का कोड : LIG | 1 | 2 | 0 |

वैवाहिक स्तर का कोडः

विवादित M एकल S अविवाहित U

व्यवसाय कोड :

शासकीय सेवा	0 1	व्यवसाय	0 2
कृषि	0 3	स्वरोजगार	0 4
निजी फर्म/संस्था	0 5	अन्य	0 6

आरक्षण : शासनादेश के अनुसार आरक्षण निम्न प्रकार देय होगा।

क्रमांक	वर्ग	प्रतिशत	कोड
1.	सामान्य	–	01
2.	अनुसूचित जाति	21	02
3.	अनुसूचित जनजाति	02	03
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग	27	04
5.	भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित	03	05
6.	सरकारी सेवकों तथा सुरक्षा सेवाओं के वे कर्मचारी जिन्होंने 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो।	05	06
7.	दिव्यांगजन को शासनादेश 786/आठ-1-08-25 विविध/07 दिनांक 30.01.2008 के अनुसार 03 प्रतिशत होरीजोन्टल आरक्षण देय होगा।	–	07
8.	विधायक/ सांसद व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी	05	08
9.	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद विकास प्राधिकरण जल संस्थान नगर महापालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारी	02	09

कृपया कोरोना रोकथाम हेतु आवश्यक दिशा-निर्देशों का पालन करें, और महामारी को फैलने से रोकें

हाथों को सेनेटाइज करें
परिसर में सेनेटाइजेशन स्टैण्ड से हाथों को सेनेटाइज अवश्य करें

मास्क का प्रयोग अनिवार्य
मास्क से अपने चेहरे और नाक को अच्छी तरह ढक कर रखें।

सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें
6 फिट की दूरी बहुत जरूरी
एक-दूसरे से दूरी बनाएं रखें

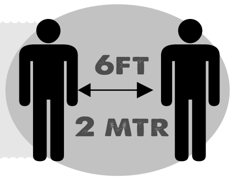

थर्मल स्कैनिंग अवश्य कराएं
खांसी, सर्दी, जुकाम या बुखार लक्षण वाले दर्शकों को प्रवेश की अनुमति नहीं

बदलकर अपना व्यवहार, करें कोरोना पर वार

Prabhu niwas
A Unit of Paras Greens

NINTH FLOOR PLAN Including Lift

TENTH FLOOR PLAN Including Lift

*The images are only for reference purpose only.
उपरोक्त चित्र वास्तविकता से भिन्न हो सकते है।

SITE MAP

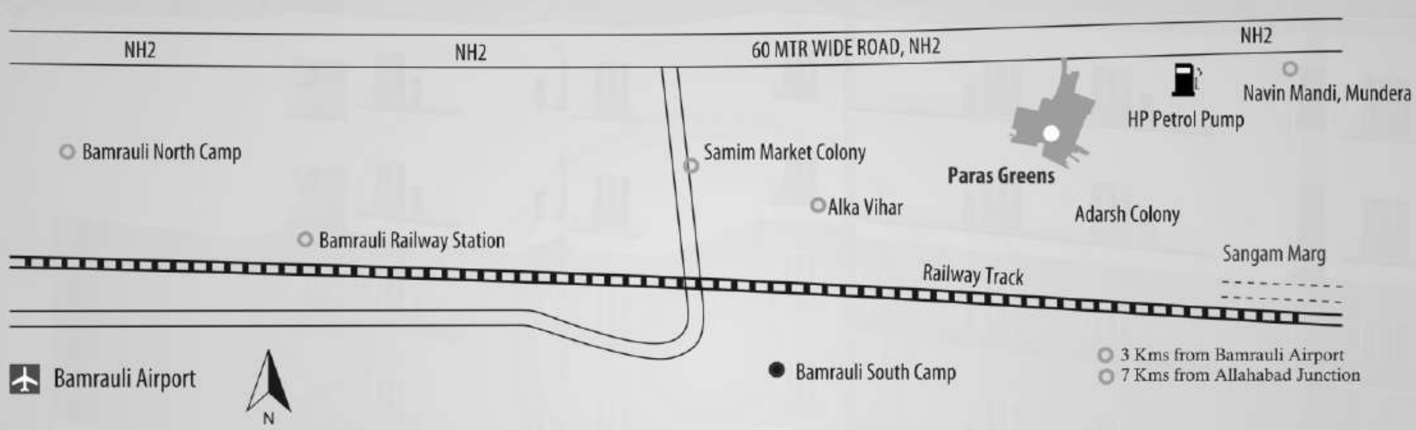

फार्म विक्रय तिथि : 00.10.2020

फार्म जमा करने की अन्तिम तिथि : 00.10.2020

लॉटरी तिथि : SMS/E-mail के माध्यम से दी जाएगी

Site Add : Mundera Bazar, Prayagraj.
Office Add. : Paras Group, IIIrd Floor, P. Square Mall, Hotel Galaxy Building, M.G. Road, Civil Lines, Prayagraj
Contact : 7379888111, 7705877058 Email : parasgreens.ald@gmail.com, Website : www.parasgreen.com